



भारतीय रिज़र्व बैंक  
सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग  
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

## Reserve Bank of India

Department of Cooperative Bank Supervision  
Regional Office, Kolkata

लाइसेंस सं. सबैपवि.(कोल). 02 C

दिनांक: सितम्बर 20, 2016

(संदर्भ: लाइसेंस सं. ग्राआक्रवि. CAL.71-C दि. अगस्त 02, 1995)

License No. DCBS (KOL).02 C

Dated: September 20, 2016

(Ref: Lic. No. RPCD CAL.71-C dated August 02, 1995)

बैंककारी विनियमन अधिनियम (बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट), 1949 की धारा 56 (ओ) के साथ पठित धारा 22 (1) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमलुक घटाल केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पूर्व मेदिनीपूर, पश्चिम बंगाल को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और जारी रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है :

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत पूर्व मेदिनीपूर जिले में तमलुक व हल्दिया उप-मंडल तक तथा पश्चिम मेदिनीपूर जिले में घटाल उप-मंडल तक ही सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

के. कोरकोरा  
महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22 (1) read with Section 56 (o) of the Banking Regulation Act, 1949 **Tamluk Ghatal Central Co-operative Bank, Purba Medinipur, West Bengal** is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions:

(a) The area of operation of the bank shall be confined only to **Tamluk and Haldia sub-division in the district of Purba Medinipur and Ghatal sub-division in the district of Paschim Medinipur in the State of West Bengal.**

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the date following the receipt thereof.

General Manager

(This license has been issued in lieu of the license issued earlier by this office  
vide RPCD No. CAL. 71-C dated 02 August, 1995)